न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–18/2011 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. सरसू,
2. नसरू पुत्रान कमरू मेव निवासीयान ग्राम रब्बाका तहसील रामगढ़ जिला अलवर ।

..... अपीलांटान/वादीगण

बनाम

1. छज्जू,
2. सतपाल,
3. हब्बी पुत्रान प्रभाती चमार,

4/1. सुषमा बेवा किशोरीलाल,

4/2. मनोज कुमार पुत्र किशोरीलाल – मृतक
4/2/1. अभिषेक पुत्र स्व0 मनोज कुमार नाबालिग,
4/2/2. विक्की पुत्र स्व0 मनोज कुमार नाबालिग, सरपरस्त माता स्वयं सुनीता ईंदपुर तहसील रामगढ़,
4/2/3. सुनीता पत्नि स्व0 मनोज कुमार जातियान चमार निवासीयान ग्राम ईंदपुर तहसील रामगढ़

4/3. विनोद कुमार पुत्र किशोरीलाल,

4/4. अमित कुमार पुत्र किशोरीलाल नाबालिग,

4/5. प्रदीप कुमार पत्र किशोरीलाल नाबालिग जरिये सरपरस्त माता स्वयं सुषमा बेवा किशोरीलाल निवासीयान ग्राम ईंदपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर ।

..... रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री सनत कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट ।
2. रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।

25.1.19

::: निर्णय :::

दिनांक :—29.01.2019

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 साबि 86 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा (0.30 है0) जिसके हाल ख0 नं0 129, 130 एवं 131 वाके ग्राम खानपुर खुर्द पटवार हल्का ईन्दपुर तहसील रामगढ़ कायम हुए हैं जिसमें से ख0 नं0 131 तो वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है । इसलिए शेष आराजी हाल ख0 नं0 129 रकबा 0.04, 130 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम खानपुर इस दावे में विवादित आराजी है । उक्त आराजी साबिक ख0 नं0 86 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम खानपुर वादीगण को अपने पिता कमरू पुत्र हसन खां मेव से जरिये विरासत इन्तकाल सं0 499 से विरासत में प्राप्त हुई है जिस पर वादीगण मौके पर बतौर खातेदार के काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है । उक्त विरासत का अमल जमाबन्दी सम्वत् 2050 में आ गया जिसकी नकल दावा के साथ पेश की है । उक्त आराजी को वादीगण के पिता कमरू ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दि0 4.7.1981 के बाजाब्ता रामदास पुत्र श्री केसरदास राजपूत निवासी खानपुर खुर्द से खरीद की थी और मौके पर कब्जा प्राप्त किया था और तभी से वादीगण के पिता अपने जीवनकाल तक एवं उनके बाद वादीगण मौके पर काबिज खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं । हाल ही में ग्राम खानपुर खुर्द के सैटलमेन्ट के दौरान सैटलमेन्ट कर्मचारियों ने आराजी ख0 नं0 साबिक 86 जिसे हाल ख0 नं0 129, 130, 131 कायम हुए हैं किन्तु सैटलमेन्ट के दौरान आराजी ख0 नं0 131 रकबा 0.23 है0 का अमल तो जमाबन्दी सम्वत् 2058 में वादीगण के नाम कर दिया गया किन्तु शेष आराजी हाल ख0 नं0 129 व 130 जो गलत प्रकार से खिलाफ मौका व खिलाफ कानून असल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी जो इन्द्राजात वादीगण के हकूकों के खिलाफ बातिल व बेअसर एवं नाकाबिल पाबन्दी हैं तथा बमुकाबले हकूक वादीगण शून्य एवं निष्प्रभावी हैं । उक्त गलत इन्द्राज के कारण वादीगण के हकूक जायल होते हैं । इसलिए वादीगण उक्त गलत इन्द्राजात को कलमजन कराकर अपनी खातेदारी में दर्ज कराने व स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी हैं । असल प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा ना उनका कोई कब्जा काश्त किसी तरह का रहा है । असल प्रतिवादीगण के मन में गलत इन्द्राजात के कारण बेईमानी आ गयी है तथा वादीगण के काफी कहने पर भी असल प्रतिवादीगण गलत इन्द्राज को दुरूस्त नहीं करते हैं तथा विवादित आराजी से वादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा नाजायज लट्ठ के बल पर करना चाहता है । इसलिए वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर असल प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया लेकिन बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं आने के कारण उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । विद्वान तहत न्यायालय ने वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर दि0 30.09.2010 को वादी

29.1.19

का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 30.09.2010 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 86 रकबा 1.04 बीघा है इसके तीन नम्बर 129, 130, 131 बने हैं । अपीलांट के पिता कमरू ने रामदास पुत्र केसरदास से दि0 4.7.1981 को विवादित आराजी जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की है । बयनामा से अमल दरामद हो गया जिसका नामान्तकरण सं0 182 तस्दीक हुआ है । इसके बाद बन्दोबस्त हुआ । कमरू का देहान्त हो गया । विवादित आराजी कमरू के देहान्त के बाद वादीगण के नाम इन्तकाल सं0 499 से दर्ज हुई है । बन्दोबस्त ने केवल ख0 नं0 131 हमारे नाम चढ़ाया है शेष नम्बर 130 व 129 हटा दिये और छज्जू के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2058 में दर्ज कर दिये । छज्जू, सतपाल के पास यह आराजी कैसे आयी, कहां से आयी । यह असल रेस्पो0 नहीं बता पाये । इससे व्यथित होकर तहत न्यायालय में वादीगण ने वाद प्रस्तुत किया जिसे तहत न्यायालय ने गलत प्रकार से खारिज कर दिया । विवादित आराजी एस.सी. के नाम होने के आधार पर दावा खारिज किया है जबकि ख0 नं0 129 व 130 से छज्जू का कोई लेना देना नहीं है । शुरू से ही अपीलांट का कब्जा काश्त विवादित आराजी पर रहा है । दौराने बन्दोबस्त विवादित आराजी वादीगण के नाम चढ़ने से रह गयी । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है तथा अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया ।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2010 का अवलोकन किया ।

अभिभाषक अपीलांट का बहस में मुख्य कथन यह है कि तहत न्यायालय द्वारा अपीलांट की साबिक खातेदारी के ख0 नं0 86 रकबा 1.04 बीघा से बने हाल ख0 नं0 129, 130, 131 की खातेदारी से संबंधित है । ख0 नं0 129 में तो खातेदारी प्रदान कर दी परन्तु बन्दोबस्त ने ख0 नं0 हाल 130 व 131 को रेस्पो0 के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया तथा दावा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विवादित आराजी गैरसायल/ रेस्पो0 के नाम दर्ज है जो अनुसूचित जाति से संबंधित है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन होता है ।

अपीलांट ने अपील में साबिक रेकार्ड पेश किया है तथा यह कहा है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत खातेदारी रेस्पो0 के नाम दर्ज की है । अतः यह धारा 42 आर.टी.एक्ट का उल्लंघन नहीं है । इस संबंध में अपीलांट द्वारा पेश साबिक रेकार्ड का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक ख0 नं0 86 मिन रकबा 1.04 बीघा से हाल ख0 नं0 129, 130, 131 कायम किये हैं । ख0 नं0 129 में अपीलांट की खातेदारी है

तथा ख0 नं0 130 व 131 में रेस्पो0 की खातेदारी दर्ज रेकार्ड है । नामान्तकरण सं0 182 से साबिक ख0 नं0 86 रकबा 1.04 बीघा रामदास कौम राजपूत खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा कमरू पुत्र हस्सू खां खातेदार के नाम हस्तान्तरण हुआ है । नामान्तकरण सं0 499 से कमरू से विरासत सरसू, नसरू पुत्रान कमरू के नामान्तकरण दर्ज हुआ है । जमाबन्दी सम्वत् 2050 वाके ग्राम खानपुर के खाता सं0 146 में ख0 नं0 86 रकबा 1.04 बीघा के सरसू, बसरू पि. कमरू मेव साकिन देह खातेदार हैं, परन्तु बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत् 2058–2077 एक्जी.4 के अनुसार हाल ख0 नं0 129 व 130 में छज्जू, सतपाल, हब्बी, किशोरी पि0 प्रभाती चमार साकिन ईन्दपुर को खातेदार दर्ज किया है तथा जमाबन्दी सैटलमेन्ट सम्वत् 2058–77 के खाता सं0 161 में ख0 नं0 हाल 131 रकबा 0.23 है0 को सरसू, नसरू पि0 कमरू मेव के नाम साबिक खातेदार दर्ज रेकार्ड किा है ।

इस प्रकार से ये रेस्पो0 की खातेदारी बन्दोबस्त विभाग ने दर्ज की है । अतः तहत न्यायालय का यह कथन कि इसमें धारा 42 आर.टी.एक्ट का उल्लंघन होता है, से सहमत नहीं है । तहत न्यायालय का यह निर्णय कानून सम्मत नहीं है जो काबिल निरस्ती योग्य है ।

साबिक रेकार्ड के अवलोकन से बन्दोबस्त विभाग द्धारा रेस्पो0 के पक्ष में कानून के विपरीत खातेदारी दर्ज करने तथा तहत न्यायालय द्धारा धारा 42 आर.टी.एक्ट का उल्लंघन मानने के संबंध में गलत निर्णय लिये जाने से अपील अपीलांट काबिल आंशिक स्वीकार योग्य है तथा तहत न्यायालय का यह मत कि धारा 42 आर.टी.एक्ट का उल्लंघन होता है निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहत न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्धान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2010 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण विद्धान तहत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बन्दोबस्त एवं साबिक एवं हाल रेकार्ड का अवलोकन करके उभयपक्षों को पुनः सुनकर अपीलांट को खातेदारी प्रदान करने के संबंध में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2019 को मेरे द्धारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29.1.19

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर